उत्तर प्रदेश सूचना

सूचना अनुभाग–1

संख्या–..........1478.........../19–1–02–124/89

लखनऊ :: दिनांक 5 अगस्त, 2002

अधिसूचना

–प्रकीर्ण–

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002

भाग–एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट है।
परिभाषाएं	3.	जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :– (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य परिशिष्ट के क्रम संख्या–1 से 15 तक के पदों के सम्बन्ध में, राज्यपाल से और शेष के सम्बंध में निदेशक से है : (ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समक्ष जाये (ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ; (घ) 'संविधान' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है; (ङ) 'निदेशक' का तात्पर्य ''निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश'' से है; (च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; (छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; (ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित)

(ट) 'मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि नियम न थे तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ;

भाग दो– सवंर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।

(1) संयुक्त निदेशक

मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों और समकक्ष वेतनमान के अन्य अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में, एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2)उपनिदेशक/उपनिदेशक(फिल्म फोटो)

मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों और समकक्ष वेतनमान के अन्य अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से,

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी	उप निदेशक में निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली सम्मिलित है।
(3) सहायक निदेशक और सहायक निदेशक(प्रसार)/सहायक निदेशक(अनुसंधान)/सहायक निदेशक(प्रदर्शनी और सहायक) निदेशक(प्रकाशन)	(एक) 97 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त सूचना अधिकारियों, जिला सूचना अधिकारियों, फीचर लेखकों, पटकथा लेखक, प्रभारी अंग्रेजी, मुख्य समाचार दाता और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा। (दो) 3 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त शोध अधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी	सहायक निदेशक (प्रकाशन) के पद पर पदोन्नति के लिए प्रकाशन में दो वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
(4) दूरदर्शन अनुरक्षण अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक दूरदर्शन अभियंताओं और प्रशासक एवं भण्डार क्रय अधिकारी में से जिनके पास इलेक्ट्रानिक अभियंत्रण में डिप्लोमा हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी की ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(5)फिल्म निर्माण अधिकारी/निर्माता (फिल्म)	मौलिक रूप से नियुक्त फिल्म वितरण अधिकारियों, फोटो अधिकारियों, फिल्म निर्माण प्रबन्धक और फिल्म अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(6) सहायक निदेशक (गीत और नाटक)	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(7)शोध अधिकारी(प्रकाशन)/सम्पादक	मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त सम्पादकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और मौलिक रूप से नियुक्त सहयुक्त सम्पादकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी	सम्पादक के पद पर पदोन्नति के लिए सम्पादन/प्रकाशन का दो वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
(8)नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त सूचना अधिकारियों में से जिन्हें जिला सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव हो या मौलिक रूप से

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

	नियुक्त सांख्यिकी सहायकों में से, जिनके पास गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(9)सूचना अधिकारी/पटकथा लेखक/फीचर लेखक/प्रभारी अंग्रेजी	50 प्रतिशित आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा; 50 प्रतिशित आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिसमें से ; (क) 3 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ख) 42 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुवादकों, सहायक क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों और उपसम्पादकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। (ग) 55 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अपर जिला सूचना अधिकारियों और पर्यवेक्षक, ग्रामीण प्रसारण में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
टिप्पणी	सूचना अधिकारियों का एक एकीकृत संवर्ग होगा जिन्हें जिलों में तैनात किये जाने पर जिला सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जायेगा।
(10) मुख्य समाचार दाता	मौलिक रूप से नियुक्त समाचार दाताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(11) शोध अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त सहायक शोध अधिकारियों, संदर्भ सहायकों और पुस्तकालयाध्यक्षों (फोटो फिल्म इकाई के सिवाय) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(12) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में से, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(13) संयुक्त सम्पादक और सहयुक्त सम्पादक	(एक) 33 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा; (दो) 67 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त उप सम्पादकों और अनुवादकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

द्वारा।

(14) वैयक्तिक सहायक — मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण, समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी;

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रुप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो ;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें ;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर लिया जाय।

शैक्षिक अर्हताएं

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :—

(1) सहायक निदेशक

1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

2. मंच व्यवस्था, मंच शिल्प और मंच नाटकों के निर्देशन का अनुभव।

3. आधुनिक थियेटर तकनीकियों और उपकरणों का व्यवहारिक ज्ञान।

4. कठपुतली कार्यक्रम के प्रदर्शन और निर्देशन का अनुभव।

5. अभिनय और मंच शिल्प में डिप्लोमा।

6. नाटक और सिनेमा का अनुभव।

7.सरकारी और अर्द्धसरकारी कार्यालयों की कार्यपद्धति में अनुभव।

(2) सूचना अधिकारी

(क) अनिवार्य अर्हता—

(एक)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो)पत्रकारिता में डिपलोमा या पांच वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव।

(ख) अधिमानी अर्हता—

(1) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का अनुभव।

(2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में स्नातक उपाधि।

(3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

संगीत/प्रकाश–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिपलोमा।

(3)सहयुक्त सम्पादक

(1)भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(2)किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या सम्पादकीय कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी

संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति कों इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्‌यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा परिषद द्वारा परीक्षण में उपयुक्त पाया जाय।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी की दशा में स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तयों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी–जाने वाली रिक्तियाँ उनको सूचित की जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1)प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2)किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश–पत्र न हो।

(3)आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात् नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

निर्धारित स्तर तक पहुँचे हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंको में जोड़ दिये जायेंगे।

(4)आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह उचित समझे नियुक्ति के लिए संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया), नियमावली 1970 के अनुसार की जायेगी।

परन्तु जहाँ सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्गों से की जानी हो वहां व्यक्तियों के नामों को पात्रता के क्षेत्र में उनके अपने पदों पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में रखकर पात्रता सूची तैयार की जायेगी और जहां दो या अधिक व्यक्ति इस रूप में एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों, वहां अधिक आयु वाले व्यक्ति को सूची में ऊपर रखा जायेगा। नामों को इस प्रकार व्यवस्थित करने में समान पदधारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बाधित नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि जहां पोषक संवर्ग में पद विभिन्न वेतनमानों में हो तो उच्चतर वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नामों को पात्रता सूची में पहले रखा जायेगा और निम्नतर वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे।

चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

टिप्पणी

पर समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।

चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम–निर्देशन समय–समय पर यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियाँ समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार तैयार करेगा ओर उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

परन्तु जहां सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्ग से की जानी हो वहां व्यक्तियों के नामों को पात्रता के क्षेत्र में उनके अपने–अपने पदों पर मौलिक नियुक्ति के दिनांक द्वारा यथाअवधारित ज्येष्ठता के क्रम में रखकर पात्रता सूची तैयार की जायेगी और जहां दो या अधिक व्यक्ति इस रूप में एक ही दिनांक को नियुक्त किये गये हों वहां अधिक आयु वाले व्यक्ति को सूची में ऊपर रखा जायेगा। नामों को इस प्रकार व्यवस्थित करने में समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बाधित नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि जहां पोषक संवर्ग में पद विभिन्न वेतनमानों में हो तो उच्चतर वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नामों को पात्रता सूची में पहले रखा जायेगा और निम्नतर वेतनमान धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके बाद रखे जायेगें ।

(3)चयन समिति उप नियम(2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

विचार करेगी और वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4)चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जानी हो, तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियों करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो नियमित नियुक्तियों तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन कर लिया जाये और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख जयेष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाय। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, अवधि बढ़ायी

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

जाये।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो, उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रेरणार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21. (1) उपनियम(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के नियमों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3)के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22. सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतन इत्यादि

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

वेतनमान

23\. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसे सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान निम्नप्रकार है :–

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनमान (रू0 में)
1.	संयुक्त निदेशक	12000–375–16500
2.	उप निदेशक	10000–325–15200
3.	उप निदेशक	तदैव
4.	सहायक निदेशक	8000–275–13500
5.	सहायक निदेशक	तदैव
6.	सहायक निदेशक	तदैव
7.	सहायक निदेशक	तदैव
8.	सहायक निदेशक	तदैव
9.	सहायक निदेशक	तदैव
10.	सम्पादक	तदैव
11.	दूरदर्शन अनुरक्षण	तदैव
12.	फिल्म निर्माण	तदैव
13.	निर्माता, फिल्म	तदैव
14.	नियोजन एवं	तदैव
15.	शोध अधिकारी	तदैव
16.	सूचना अधिकारी	6500–200–10500
17.	पटकथा लेखक	तदैव
18.	फीचर लेखक	तदैव
19.	प्रभारी, अंग्रेजी	तदैव
20.	शोध अधिकारी	तदैव
21.	ज्येष्ठ प्रशासनिक	तदैव
22.	सहयुक्त सम्पादक	तदैव
23.	संयुक्त सम्पादक	तदैव
24.	मुख्य समाचार दाता	तदैव
25.	वैयक्तिक सहायक	5500–175–9000

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24\. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

अधीन कोई पदधारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल द्वारा विनियमित होगा।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,

(रोहित नन्दन)
सचिव

परिशिष्ट
[नियम 4 (2) देखिये]

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	कुल
1	2	3	4	5
1.	संयुक्त निदेशक		2	2
2.	उप निदेशक	4	13	17
3.	उप निदेशक (फिल्म फोटो)	1		1
4.	सहायक निदेशक (अनुसंधान)		1	1
5.	सहायक निदेशक (प्रचार)		1	1
6.	सहायक निदेशक	4	19	23
7.	सहायक निदेशक (प्रदर्शनी)	1		1
8.	सहायक निदेशक (प्रकाशन)	1		1
9.	सहायक निदेशक(गीत एवं नाटक)	1		1
10.	सम्पादक	2	1	3
11.	दूरदर्शन अनुरक्षण अधिकारी	1		1
12.	फिल्म निर्माण अधिकारी	1		1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

13.	निर्माता फिल्म	1		1
14.	नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी		1	1
15.	शोध अधिकारी (प्रकाशन)		1	1
16.	सूचना अधिकारी	59	15	74
17.	पटकथा लेखक	1		1
18.	फीचर लेखक	5		5
19.	प्रभारी अंग्रेजी	1		1
20.	शोध अधिकारी	1		1
21.	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		1	1
22.	सहयुक्त सम्पादक	2		2
23.	संयुक्त सम्पादक		1	1
24.	मुख्य समाचार दाता		1	1
25.	वैयक्तिक सहायक	1		1

आज्ञा से,

(रोहित नन्दन)
सचिव

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com